

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

1. स्वामीप कुमार पुत्र जगदीश

बनाम 1. जगदीश प्रसाद टिकूराम

जाति जाट साठ चिठगांधी

2. इन्दर सिंह पुत्र जगदीश

दावा बाबत :- 88 Rtaet

3. कुलदीप सिंह पुत्र जगदीश

मुकदमा नम्बर :- 47/2019

4. ए.ए.सी. साकरी गांधीवडी

निर्णय दिनांक :- 01/11/2021

5. राजाचान लाला जरिपे ए.ए.सी. साकरी

वादी की ओर से वकील श्री वंशीधर शर्मा की व प्रतिवादी सं० की

ओर से वकील जयवर्ति सिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 01/11/2021

को मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोटी मोजा चक 20 AMPS खाला व 11/12 के 52

कि. नं. 24, 25, 53 किला न. 21, 54 किला न. 24, 25, 55 किला

13 ता 25, 56 किला न. 8, 9, 11 ता 13, 19 ता 22 69 किला न. 1, 2,

10, 11, 20 70 किला 1 ता 24, 71 किला 1 ता 25, 72 किला 1 ता 5,

73 किला 1 ता 19, 74 किला 1 ता 4, 75 ता 14, 17 ता 20, कुल

43.000 ई० में प्रतिवादी सं. 1 के नाम 536 5/8 हिस्सा राजस्व

दर्ज रिकार्ड है। अब रकके में ये तन्हा प्रतिवादी सं. 1 जगदीश

की पत्नी वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 वध हिस्सा ए.ए.सी.

के खातेदार का शकाल बौधित किरा जाते हैं इसी अनुसार

दर्ज राजस्व रिकार्ड कर, रिकार्ड कुकलत किया जाये। डीकी की

पालना रदनभूमि पर की जाये।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)

R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)